15·20½ hrs.

MINES (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of sections* 12, 64 *etc.*) *by Shri Jhulan Sinha*

Shri Jhulan Sinha (Siwan): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mines Act, 1952.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Mines Act, 1952."

The motion was adopted.

Shri Jhulan Sinha: I introduce the Bill.

15·21½ hrs.

FACTORIES (AMENDMENT) BILL*

(*Insertion of section* 9A) *by Shri Jhulan Sinha*

Shri Jhulan Sinha (Siwan): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Factories Act, 1948.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Factories Act, 1948."

The motion was adopted.

Shri Jhulan Sinha: I introduce the Bill.

15·22 hrs.

LABOUR EXPLOITATION (PROHIBITION) BILL*

by Shri Jhulan Sinha

Shri Jhulan Sinha (Siwan): I beg to move for leave to introduce a Bill to prohibit exploitation of labour and for matters incidental thereto.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to prohibit exploitation of labour and for matters incidental thereto."

The motion was adopted.

Shri Jhulan Sinha: I introduce the Bill.

Mr. Speaker: Shri Shree Narayan Das, absent. Shri Shree Narayan Das, Shri Radha Raman, absent.

15.23

SOCIAL CUSTOMS (CURTAILMENT OF EXPENDITURE) BILL—*contd.*

by Shri Jhulan Sinha

Mr. Speaker: The House will now resume further discussion of the following motion moved by Shri Jhulan Sinha on the 12th August, 1960, namely:

"That the Bill to provide for curtailment of expenditure on social customs and for matters connected therewith be circulated for the purposes of eliciting opinion thereon by the 31st December, 1960."

Out of 1½ hours allotted for the discussion of this Bill, three minutes were taken up on the 12th August, and one hour and 27 minutes are now available. Shri Jhulan Sinha may kindly continue his speech.

Shri Jhulan Sinha (Siwan): Sir, the other day, in moving my motion that the Bill to provide for curtailment on social customs, etc. be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon, I tried briefly to state the background in which the whole Bill was conceived and brought before this

*Published in the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 2, dated 26-8-1960.

[Shri Jhulan Sinha]

House. We all know, in this country, especially the Hindus and others also spend a lot on social customs, not only on the religious or scriptural part, but on so many other ceremonies and rituals which are not essential thereto. In the course of these observances, they spend a good deal of money, not necessarily wanted for the observance of these rituals. I was trying to impress upon the House how these moneys could be saved and invested for the implementation of the development plans and for the betterment of the conditions in this country.

I was just trying to impress upon this House how we have had to labour all these years for getting money for the implementation of these plans by levying taxes to the extent we can levy them from the people, by borrowing money from the people in this country, by encouraging habits of thrift, saving and investment, and also by borrowing from many countries of the world and by asking for loans and assistance from other countries. This was the background in which the Bill has been conceived. If we exert ourselves voluntarily and if we could give a legal sanction to our voluntary efforts, we could save a lot of money and in this way find enough resources for the implementation of the Plan for which so much money is required.

We have had a very long and useful discussion over the implementation of the Plan and the resources therefor all these days and I do not consider it at all useful to enter into any details thereabout. I would only like to say this. There is a pamphlet published by the Secretariat of the Lok Sabha in which a recital has been made of the extent of assistance we have sought and obtained from the countries of the world.—We have obtained assistance from the U.S.A., from the U.S.S.R., from Canada, from Australia, from New Zealand, from West Germany, from Japan, from France, from Norway, from Rumania, from Czechoslovakia, and we have obtained loans from the International Bank for Reconstruction and Development, and also assistance from United Nations, from Private philanthrophic organisations and Technical assistance from other countries. I will not attempt to give the details of the loans and assistance given by all these countries. I would only give the total of all this. The total that I have been able to find from this list is Rs. 1,448 crores of loan and Rs. 322 crores of grants from all these countries taken together. It is a colossal amount and almost a staggering amount that we have been able to get from the other countries of the world.

I was just trying to impress upon the House whether it would be worth while with the reputation that this country possesses to go about asking for loan and assistance from other countries when there are ample resources available in this country which can be easily tapped. I have been able to make a rough assessment about the unnecessary expenditure that this country incurs on rituals, not on the religious part, but on rituals connected with birth, marriage, death, etc., of the people of this country. My estimate is that annually, we are spending unnecessarily over these things to the tune of not less than Rs. 10,000 crores. If we can find out some way of harnessing this money and channelling this money for the development of this country, we shall have done a good deal of assistance to ourselves.

I would just quote only two or three figures more. The Plans that we have already implemented and the Plans that are going to be implemented have been so thoroughly discussed and I need not quote any figures therefrom.

15.29 hrs.

[SHRI HEDA *in the Chair*]

Apart from taxation and the surpluses of Railways, apart from market borrowings or loans from the public, apart from small savings and other capital receipts, this country has received Rs. 188 crores as assistance from foreign countries and gone into Rs. 420 crores of deficit financing for the implementation of the First Plan.

So far as the Second Plan is concerned, up-to-date, the deficit financing that Government have indulged in comes to Rs. 1,200 crores, and the resources raised externally come to Rs. 800 crores. This is the position in which the country is placed, and this is the position through which the country has been passing. I would, therefore, request this country and this House to consider if it is worth-while or not to tap the resources available in this country, which are being almost wasted.

As I have just pointed out, my assessment is that this country is wasting, and not spending usefully. It is wasting not less than Rs. 10,000 crores per year on unnecessary rituals connected with birth, marriage and death. How can we channel this money into useful channels for the implementation of the Plan? I have thought out a way, which this Bill embodies. I have suggested that Government should prescribe a minimum expenditure for all sections of the people, over which money should not be spent on the rituals. If anybody incurs expenditure beyond the prescribed limit, he will be liable to a penalty. That penalty is not one of sending him to jail or imposing a fine on him and mix the income therefrom in the general revenues, but he is to be penalised by being asked to deposit twice the amount that he has overspent beyond the prescribed minimum. That is the provision that this Bill seeks to make.

As I said, nobody should have any objection to being penalised for his own interest. Whether it be in this country or in any other country in the world, penal laws have been abhorred only because they inflict hardship upon those concerned. But this Bill seeks to provide a penalty in the interests of the person who is penalised as well as the general community. I shall quote just only one sentence in this connection, from the Draft Outline of the Third Five Year Plan, which we have adopted just this afternoon, and then request the House and the Government to consider whether it is worth-while to have any measures on these lines or not. All of us who are connected with public affairs in this country for a quarter of a century and even more, have felt that this country is not only overspending but wasting a lot of money over rituals, which do no good either to the person who indulges in such practices or rituals or to the country of which he happens to be a resident.

At page 56 of the Draft Outline, the framers of the Plan have stated:

> "For raising some resources for the public sector, it has been suggested, for example, that participation of private capital in existing or new public enterprises might be encouraged.".

My Bill is not concerned with this. Further on, they say:

> "Other methods of stimulating savings or of channelling them in the required direction may also be thought of.".

This Bill is merely a pointer to the direction in which the mind of Government should move. I think if Government take action as suggested in this measure, then Government will be able to find a lot of money, and will be able to successfully implement the Plan that is now before us or that might come up hereafter.

With these words, I move that the Bill be circulated for eliciting public opinion thereon.

Mr. Chairman: Motion moved:

> "That the Bill to provide for curtailment of expenditure on social customs and for matters connected therewith be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st December, 1960.".

श्री स.जू पांडेय (रसड़ा) : सभापति महोदय, जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है,

[श्री सरजू पाण्डेय]

इस में जो चीजें रक्खी गई हैं उन से मैं आम तौर पर सहमत हूं । यद्यपि मेरा यह खयाल है कि सारी चीजें कानून के तहत लाने से काम नहीं चलता, किसी भी देश में हर चीज के लिये कानून बनाया जाय, यह ज्यादा अच्छी बात नहीं होती और न यह देश के प्रोग्रेस के लिये ही ठीक है । कुछ बातों के लिये तो हमें यह भी मौका देना चाहिये कि जनता अपने तजुर्बे से सीखे, लेकिन यह बात सही है कि इतने लम्बे चौड़े अर्से के बाद भी शादी, पैदाइश आदि जितनी चीजों का इस बिल में जिक्र किया गया है, उन में काफी रुपया खर्च किया जाता है । मैं नहीं समझता कि कानून इस को कहां तक रोक सकेगा क्योंकि पिछले दिनों इसी सदन में एक कानून पास किया गया दहेज को रोकने के लिये । उस कानून के पास होने के बाद भी, मैं अपने यू० पी० का तजुर्बा बतलाता हूं, कम से कम ३०, ३० और ४०, ४० हजार रुपया तक लोग अपने लड़के की शादी के लिये लेते हैं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : अभी पूरी तरह बिल पास नहीं हुआ है ।

श्री सरजू पांडे : पूरी तौर पर नहीं पास हुआ है, लेकिन हो भी गया तो भी पता नहीं उस का क्या हश्र होगा ।

एक माननीय सदस्य : कुछ तो फायदा होगा ।

श्री सरजू पांडे : मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह से यह कानून भी बना तो इस से भी कुछ नहीं हो पायेगा । लेकिन इस में शक नहीं कि इस बिल के पीछे जो भावनायें हैं उन का आदर किया जाना चाहिये और ऐसे अखराजात पर रोक लगाई जानी चाहिये ।

माननीय सदस्य ने एक तर्क दिया है कि ऐसे खर्चों को रोक कर उन से जो रुपया बचे उस को प्लैन पर खर्च किया जाये । यहां पर प्लैन के बारे में भी काफी डिस्कशन हुआ, इस से जो खर्चा बचेगा उससे पता नहीं हम कितना रुपया इकट्ठा कर पायेंगे, लेकिन यह बात सही है कि इस से कुछ हद तक तो फायदा होगा । इसलिये मेरी राय में ला मिनिस्ट्री को चाहिये कि इस सिलसिले में एक कांप्रिहेन्सिव बिल वह इस सदन में लाये, और उस में इस बात की व्यवस्था की जाय । लेकिन यह जो बिल है जिस के बारे में कहा जा रहा है कि लोगों की राय जानी जाय, इस में ऐसी कोई बात नहीं है जिस के बारे में लोगों को राय जानने में आपत्ति हो । इसलिये मैं चाहता हूं कि यह बिल जनता की राय जानने के लिये सारे देश में सर्कुलेट किया जाये और साथ ही साथ इस सिलसिले में ला मिनिस्ट्री को एक कानून इस सदन में लाना चाहिये ताकि आज कल जिस तरह से इन चीजों पर रुपया खर्च हो रहा है वह रुक जाय और इस से लोगों में जो असन्तोष उत्पन्न हो गया है वह भी मिट जाये । खास तौर पर जिन के पास आज पैसा ज्यादा है वे उस को इन बातों पर खर्च करते हैं और इस बिल को पास करने से दूसरे लोगों के दिलों में जो जलन की भावना होती है वह भी खत्म हो जायेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि यह बिल पूरे देश में जनता की राय जानने के लिये भेज दिया जायेगा ।

Pandit K. C. Sharma (Hapur): I oppose this Bill on the principle that this sovereign legislature should decide what is called the pith and substance of a legislation. The pith and substance or the substantive part of this legislation is what avoidable expenditure is. The Bill nowhere provides or lays down what is avoidable expenditure. Avoidable expenditure incurred by a person is a punishable offence. You do not prescribe definitely what the offence is, and yet you lay down that the offence is to be

punished. What is to be punished? Somebody else is to decide what the offence is. That is not permissible in enacting law. It is a wrong principle, and a wrong way to enact a law. The pith and substance of a legislation must be in the legislation itself. It is not permissible to leave it to the rule-making power. It is not the subordinate legislation authority or to delegated legislation authority. It is an impossible proposition.

Therefore, I beg to submit that, however laudable might be the motive of the hon. Mover, it is wrong to enact a measure of this nature, from the point of view of the principle of legislation, because it gives the power to prescribe what the offence is to a rule-making authority, which under the procedure accepted by democratic governments and democratic legislative bodies working under a democratic system is not acceptable.

Therefore, with these words, I oppose this Bill.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अंग्रेजी जबान के एक बड़े लेखक हुए हैं जिन का नाम था ओलिवर गोल्डस्मिथ । वे एक प्रकाशक के पास गये कि मेरी किताब को छापो । प्रकाशक ने कहा कि आपकी किताब में क्या है । उस ने कहा कि मैंने अभी किताब का नाम चुन लिया है, बाकी कुछ नहीं है । किताब मैं अब लिखूंगा । तो किताब के नाम की बिना पर वह प्रकाशक के पास गये कि जनाब वाला, मेरी किताब को छापिये, और किताब के सफहे खाली थे । किताब के जो अध्याय थे वे नदारद । तो मैं आप से कहता हूं कि इस बिल को आखिर किस बात के लिये जनता के पास भेजा जाये ? इस बिल को किस बात के लिये जनता की राय पूछने के वास्ते भेजा जाये ? इस में जो सब से बड़ी चीज है वही नहीं है । वह यह कि आखिर अवायडेबल सपेएक्न्डिचर है क्या चीज ? अवायडेबल एक्सपेंडिचर का फैसला पीछे होगा राय पहले मांगी जा रही है । यह तो ऐसा मालूम होता है जैसे गाड़ी को घोड़े के आगे रख दिया । आम तौर पर घोड़ा गाड़ी के आगे होता है, लेकिन यहाँ उल्टी बात की जा रही है । तो मैं आप की सेवा में अर्ज करूंगा कि अगर आप ने इस बिल को जनमत के सामने भेजा तो जनता कहेगी कि हमारे जो लोक सभा के सदस्य हैं वे कैसे बिलों की हिमायत करते हैं ? यह लोक सभा के सदस्य जो हैं वे कैसे बिल हमारे पास भेजते हैं ? या तो आप कुछ मुकरर करते कि अगर किसी की पैदाइश हुई तो उस पर इतना खर्च होना चाहिये, किसी की मंगनी हुई तो उस पर इतना खर्च होना चाहिये, शादी हुई तो इतना खर्च होना चाहिये और अगर किसी की मौत हो गई तो उस का कुछ खर्च नहीं होना चाहिये, कारपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी को उस का जिम्मा लेना चाहिये । अगर आप वह करते मैं समझता कि कोई बात हुई, इस के बारे में कुछ नहीं कहा गया । मैं तो कहता हूं कि कोई जमाना था जबकि लोग बड़ी खुशियां मनाते थे जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता था, कोई जमाना था जब लोगों को पैसा दिया जाता था जब किसी की शादी होती थी । कोई जमाना था जब अगर कोई बूढ़ा मर जाता था तो बड़ा जश्न होता था । लेकिन आज कल खुशी तब मनाई जाती है जब लड़का इम्तहान में पास होता है, उस के लिये टी पार्टी होती है, किसी के लड़के को नौकरी मिल गई तो जश्न होता है, किसी को कोई और चीज मिल गई तो जश्न होता है, किसी को लाटरी मिल गई तो वह अलग पार्टी करता है, अगर ५०,००० रुपया मिल गया तो उस में से ५,००० रु० खर्च कर दिया । इस तरह के खर्च जो हैं उन को लोगों ने वैसे ही कम कर दिया है, अब इन खर्चों पर ज्यादा रोक लगाने की जरूरत नहीं है, अब तो खर्च और जगहों पर होते हैं । मैं आप को बतलाऊं, अगर कहीं कोई भाई वजीर बन जाता है तो उस के

[श्री दी० चं० शर्मा]

लिये हर जगह हर शहर में पार्टियां होती हैं । परमात्मा करे मेरे सारे भाई वजीर बन जायें और उन के लिये पार्टियां हों । मुझे स बात का कोई दुख नहीं है कि यह पार्टियां होती हैं । आज तो कोई भाई किसी म्यूनिसिपेलिटी में या कारपोरेशन मे या विधान सभा में, विधान परिषद् में, लोक सभा मे या राज्य सभा में चुने जाते हैं तो उन के लिये हर जगह पार्टियां होती हैं और बड़ा खर्च होता है। मैं तो कहता हूं कि उन के लिये आज शादियों से और दूसरी बातों से भी ज्यादा खर्च करते हैं । मैं तो यह कहूंगा कि जो हमारे सामाजिक रिवाज हैं वह दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, कभी कहीं एम्फसिस है कभी कहीं एम्फसिस है, कभी किसी बात पर जोर है, कभी किसी बात पर जोर है । इस वास्ते स बिल में बतलाया गया कि सोशल कस्टम सिर्फ तीन हैं, एक पैदाइश, एक मौत और एक शादी । बहुत कुछ और भी हो सकते हैं, अगर आप प्रेस्क्राइब करने लगेंगे उन को तो पता नहीं कितनी चीजों को प्रेस्क्राइब करना होगा । उन को रिकग्नाइज करने का मतलब यह है कि उन पर जो खर्च होता है उस को नेशनल लोन्स में लिया जाये । हम सब चाहते हैं कि हमारी कौम पया जमा करे ताकि हमारी प्लैन्स कामयाब हों, लेकिन यह कहना कि हम खुशी मनाना बिल्कुल छोड़ दें, थोड़ी बहुत जो खुशियां मना लेते हैं उन की जगह पर अपने प्लैन्स को सपोर्ट करें, यह एक बड़ी अजीब बात है ।

मैं आप को बतलाऊं, मैं एक गांव में जा रहा था अपनी कांस्टिटुएन्सी में । हमारे साथ और लोग भी थे । कुछ भाई वहां से निकल कर जा रहे थे । उन्हों ने कहा कि जो हमारी पार्लियामेंट के मेम्बर हैं वह आ रहे हैं, उन की बात भी जरा सुनो । दूसरे लोग कहने ल े कि क्या बात सुनें उन की ? वे भी यही कहें कि बच्चे कम पैदा करो । हम लोग काफी बदनाम हो गये हैं कि हम जा कर लोगों स कहते हैं कि फेमिली प्लेनिंग क ो । अब अगर यह बिल पास होगा तो लोग कहें कि हम लोग यहां इसलिये गये हैं कि शादी में कम खर्च हो, या खर्च हो न हो । लड़का पैदा हो तो लोग खुशी न मनायें । पहले से ही हमारा नाम कुछ बहुत रोशन नहीं है, अब अगर इस मामले मे कोई कानून बना दिया गया तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिये गांवों में जाना भी बड़ा मुश्किल हो जायेगा ।

इस वास्ते मैं अर्ज करूंगा कि हमारे भाई जो हैं, जिन्हों ने यह बिल रक्खा है, उन की जो नीयत है उस की मैं बड़ी तारीफ करता हूं । उन की नीयत बहुत अच्छी है, उन के विचार बहुत ऊंचे हैं और वे चाहते हैं कि जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं वे कम हों । वह चाहते हैं कि हमारा खर्च कम हो, लेकिन यह ठीक नहीं है ।

सबसे आखिरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमने यह समझ लिया है कि हमारी जो भी कोई सामाजिक बीमारी है, जो भी हमारा किसी किस्म का दुःख है, उसका एक ही इलाज है, और वह इलाज यह है कि कानून बना लो। हमने अनटचेबिलिटी के सम्बन्ध में कानून बनाया, लेकिन क्या अनटचेबिलिटी खत्म हो गयी । अभी हमने उसकी रिपोर्ट पर डिसकशन किया है । क्या अनटचेबिलिटी खत्म हो गयी ? हर बात के लिए कानून बनाना और यह समझना कि कानून की मदद से हम हर एक कमजोरी को दूर कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है । पहले राय आम्मा पैदा करनी चाहिए। उसके बाद हो सकता कि वह कमजोरी दूर हो । इसलिए मैं अपने भाई से कहूंगा कि मेरे प्यारे भाई, बजाए इस के कि तुम यह कानून हम से पास कराओ, हर एक पार्लियामेंट के मेम्बर को यह कहो कि जब यहां से छुट्टी हो और वह अपने हलकों में जाएं, तो वहां जा कर कम से कम ५–६

लेक्चर इस सम्बन्ध में दें कि भाई इन चीज़ों पर कम खर्च करो । यह जब होगा तो मेरा ख्याल है कि उससे हमारा कुछ न कुछ काम बनता जाएगा ।

ग्रौर मैं यह कहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट को बदनाम करने का सब से ग्रासान तरीका यह है कि ग्राप लोगों से कहें कि खर्च कम करो, ग्रौर इस तरह से सामाजिक मामलों में दखल दें । किसी भी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए यह बहुत ग्रासान ख्याल है । तो मेरा यह भाई तो कांग्रेस का एक प्यारा है, कांग्रेस गवनमेंट का एक बाजू है, कांग्रेस गवनमेंट को पुष्ट करने वाला है, तो मैं कहता हूं कि मेरे भाई इस बिल को वापस ले ले । मेरा ख्याल है कि ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता जाएगा ये कुरीतियां दूर होती जाएंगी ।

Shri Kalika Singh (Azamgarh) : It is very difficult to draw a line between religious practices and social customs in India, because most of the rituals and festivities connected with birth, marriage and death come under our religious scriptures. It can very well be argued that the Bill itself may be contravening article 25 of the Constitution of India, whereas Parliament has not been allowed to interfere with the religious practices that are prevailing in our country. And, that is a very good provision. Parliament has always laid it down as a rule not to legislate on any point which may be even touching any of the religious practices of any of the communities. Therefore, my first objection is that the Bill goes against fundamental guarantee given by the Constitution of India.

Then, the second objection against the Bill is, that the only important provision in the Bill is the punishment clause. Clause 1 is Title, clause 2 is the definition clause and clause 3 at once goes to punishment. It says:

"Whoever incurs avoidable expenditure on social customs shall be liable to deposit as fine double the amount spent in excess of the prescribed limit in any of the various forms of recognised investments."

And the punishment also is 3 months simple imprisonment besides depositing double the amount.

In clause 4, the right to initiate proceedings is given to any private individual. Here in our country where litigation is already going on in large numbers, this simple legislation will add to that mass of litigation particularly when it is very difficult to define what avoidable expenditure is. Even if Government prescribes the limit as being only Rs. 1,000 or Rs. 2,000, it will affect a person who is not literate enough or who does not generally keep an account book. A person who is not literate or who does not keep an acount spends some amount. Somebody files a complaint in a criminal court that that man has spent more. He has not got any account book. Some oral evidence is let in; it is said that the man has exceeded the prescribed limit. The man says he has not. When he is asked whether he has got any document to show that he is not able to produce any. The result is that he is punished to 3 months' imprisonment. So, many people will be punished under this legislation not because the legislation makes it a crime but because false complaints have been initiated and false and perjured evidence has been given. On that ground also, this Bill has to be rejected by this House.

The other point is this. It touches social customs. Birth, death and marriage are not the only three things to be considered among social customs. There are many social customs that have to be taken into consideration where expenditure is incurred.

When people spend on deaths, marriages and births, where does the money go? After the abolition of the zamindari, there are a large number

[Shri Kalika Singh]

of poor communities in the villages who are not provided for. It is only on the occasion of births, marriages and deaths that they get something. It may not be a very large amount. But, they get something in the form of cloth or some petty amounts. Instead of trying to give them something you are just trying to deprive those people from getting anything. Who are the people in the villages and small towns who get this benefit from these customs? It is not the rich but the poor. Therefore, on that ground also, I oppose this Bill.

My other hon. friends have already opposed this Bill on other grounds. I also request my hon. friend, the Mover of this Bill to withdraw it.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : सभापति जी, इस विधेयक को उपस्थित करने के लिए मैं श्री झूलन सिंह को दो दृष्टियों से धन्यवाद देता हूं ।

एक तो यह कि उन्होंने इस विधेयक को उपस्थित करते समय इसको किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रखा । उन्होंने यह नहीं कहा कि यह हिन्दुओं पर लागू होगा या मुसलमानों पर लागू होगा या सिखों पर लागू होगा । उन्होंने इस विधेयक को अपनी सद्भावना के साथ सब के लिए उपस्थित किया है ।

दूसरे मैं इस दृष्टि से इस विधेयक को उपस्थित करने वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को उपस्थित करते समय सारा अधिकार सदन के या अपने हाथ में सीमित नहीं रखा है । वह चाहते हैं कि इसको देश की सम्मति जानने के लिए प्रसारित किया जाए ।

मैं समझता हूं कि ये परम्पराएं कोई साल दो साल में तो बनती नहीं । जिन परम्पराओं की ओर इस विधेयक में संकेत दिया गया है उनको बनने में शताब्दियां लगी हैं । लेकिन कुछ सामाजिक परम्पराएं ऐसी हैं कि जो हमारे स्वतंत्र होने के पश्चात् हमारे लिए भार बनती चली जा रही हैं । इस विधेयक के पीछे भावना यही है कि इस प्रकार की कुरीतियां जो हमारे लिए भार हो रही हैं, वे बन्द हो जाएं । हमारे देश में जो लोग आर्थिक दृष्टि से सबल नहीं है लेकिन कुछ सामाजिक परम्पराएं ऐसी हैं कि जिनमें उन लोगों को भी फंसना पड़ता है । यह विधेयक इस भावना से रखा गया है कि ऐसे लोग उस खर्चे से बच सकें ।

मुझे आश्चर्य है कि इस विधेयक के विरोध में यह कहा गया कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि सामाजिक प्रचार से ही उनको हटाया जा सकता है । उनके लिए कानून की शरण लेना आवश्यक नहीं है । यह सही है कि सामाजिक प्रचार से कुछ बातों में सुधार हो सकता है, लेकिन अगर यही व्यवस्था हो तो फिर आपको कानून को तो एक ओर उठाकर रखना होगा क्योंकि जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं वे सब सामाजिक प्रचार मात्र से ठीक हो जायेंगी । कानून का आधार तो इसी लिए लिया जाता है कि जो परम्परा बहुत बिगड़ चुकी है उसमें कानून के सहारे सुधार किया जाए । आप देखें कि देश में अस्पृश्यता की बुराई चली आ रही थी उसके लिए कानून बनाया गया । ऐसी बात नहीं थी कि भूतकाल में इस बुराई को दूर करने के लिए किसी संगठन ने कार्य नहीं किया ताकि यह कलंक हमारे देश से दूर हो । किन्तु इसके लिए कानून की भी आवश्यकता अनुभव की गयी और कानून के जरिए भी यह चीज दूर होती जाएगी । मैं ऐसा नहीं समझता कि इस विधेयक के कानून बन जाने से इस दिशा में सुधार होने में कोई न्यूनता आ जाएगी ।

एक बात को विशेष रूप से कह कर मैं सबल भाषा में इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं । सचमुच कुछ परम्पराएं तो बहुत बिगड़ चुकी हैं । देश में जो मृतक संस्कारों की परम्परा चली आ रही है उसके पीछे कुछ ऐसी ही भावनाएं काम कर रही हैं । हमारी

परम्परा के अनुसार जब आदमी का शरीरान्त हो जाता है तो हमारा उसके साथ तभी तक सम्बन्ध रहता है जब तक कि हम शमशान में जाकर उसका दाह कर्म नहीं कर देते। और दो तीन दिन बाद गृह शुद्धि कर ली जाती है। लेकिन यह परम्परा बन गयी है कि जब तक उसके बच्चे जीवित रहें तो आश्विन मास में जिस तिथि को उसकी मृत्यु हुई हो उस दिन उसका श्राद्ध करें। इसमें आज सामाजिक प्रचार से बहुत कुछ सुधार हुआ है लेकिन अगर इसके लिए कानून की व्यवस्था हो जाएगी तो उस सुधार को और अधिक बल मिलेगा।

16 hrs.

मैंने एक व्यक्ति को देखा कि वह अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे। और वह पुरोहित को एक चारपाई देना चाहते थे क्योंकि किसी ने उनसे कहा था कि जो तुम यहां दोगे वह स्वर्ग में तुम्हारे पिता को मिलेगा। चारपाई और तो सब प्रकार ठीक थी लेकिन बीच में वह बुनी नहीं थी। उसमें एक बान इधर से उधर तक और एक उधर से इधर तक लगा हुआ था। मैं ने कहा कि जब आपकी यह चारपाई स्वर्ग जाएगी तो आपके पिता जी इसका उपयोग किस प्रकार करेंगे। उन्होंने कहा कि जाती थोड़े ही है, एक परम्परा का निर्वाह किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के खर्चों से भी लोगों को बचाने में इस कानून से कुछ सहारा मिल जाएगा।

इसलिए जो सामाजिक परम्पराएं हमारे लिए भार हो गयी हैं और जिनके कारण कभी-कभी हमको लज्जित भी होना पड़ता है और जिनको सहज ही नहीं हटाया जा सकता, उनको हटाने का उद्देश्य इस प्रकार के कानून से पूरा हो सकेगा। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को जनता की सम्मति जानने के लिए प्रसारित किया जाए और उसके बाद इस दिशा में सक्रिय पग उठाया जाए।

Shri Oza (Zalawad): Mr. Chairman, Sir, I oppose this Bill and the motion for more than one reason. In the first place, I am against this tendency to legislate for anything and everything under the sun. In my humble opinion we have got only certain things where we can legislate, we cannot legislate for anything and everything.

After all, it is true that ostentatious expenses after ceremonies are not proper. It is not a healthy sign. But, all the same, I do not think it would be necessary or, rather, proper to legislate for it. I remember the days of 1930's when under the influence of Gandhiji we cut down very much our expenses on so many customs on marriages and other occasions. Even rich persons used to do things in a very simple manner. It is very unfortunate that now again a sort of fashion has started particularly among the so-called higher strata of society where they are spending a lot of money after marriages. Let us hope that we will arouse social conscience in them and we will look down upon such ostentatious expenses. For example, if our hon. Ministers both in the States and at the Centre refuse to go where huge expenditure is incurred after marriages, where they spend a lot of money on flood lights and bands, I think it will go a long way to improve the condition. I fully know that there is a tendency among rich persons to always manage to see that some big dignitary is present at their marriage functions so that they can take photos and all that.

The Deputy Minister of Agriculture (Shri M. V. Krishnappa): The Members of Parliament should set an example.

Shri Oza: They are not satisfied with Members, they are only satisfied with Ministers. Somebody was

[Shri Oza]

light-heartedly talking that as in every marriage they require an elephant, a band or things like that they now require a Minister also. If we want to put down such expenses, I think we should stop going to such functions. I am sure that will go a long way in improving the situation.

Then, putting such an unenforceable legislation on our statute-book is not also a happy thing, because putting an unenforceable legislation on our statute-book diminishes or decreases respect for law and people are encouraged not to respect law. If this legislation goes on the statute-book, I am sure it will be very difficult to enforce it. The result will be that people will lose respect for law. There are so many good laws on the statute-book which require to be enforced. People will lose respect for those laws also and our task in enforcing them will become difficult. Therefore, such pieces of legislation which are not enforceable should not be brought on the statute-book.

The Bill is also very vague. It says: "avoidable expenditure", which means expenditure above a prescribed limit. The Government shall have to prescribe that limit. So the Government must prescribe a limit for a marriage occasion at Tatas or Birlas and another limit for such an occasion at a sweeper's place. I think it would be very difficult for the Government to prescribe such limits. Big schedules will have to be prepared and added. They will have to say that if a man got so much as income he will be able to spend a certain amount on a particular occasion, and a slab system rate upto the highest limit will have to be laid down. I think this piece of legislation will be, if I am allowed to say, ridiculous.

I would, therefore, request my hon. friend to withdraw the Bill and not unnecessarily agitate the public mind over this, because I am sure once this is circulated people will begin to say that this Government is putting up pieces of legislation just for show and they would never be able to enforce them. We have already got so many pieces of legislation which are very good and which require to be followed up. If you want to see that people have respect for such legislations we should refrain from putting this type of legislations on the statute-book. I would once again request my hon. friend to withdraw this Bill rather than circulate it among the public.

The Minister of Law (Shri A. K. Sen): Mr. Chairman, Sir, I entirely agree with those hon. Members who have said that our enthusiasm for social reform should find expression in our attempt to increase the volume of legislation passing through Parliament. It should be realised that the cure for every social evil does not lie in passing a law, because, after all, law will only express, possibly, in a legal form what the society otherwise expresses. But if the society cannot enforce what it expresses to be right or wrong, how a continuous volume of social legislation can enforce it is a question which we should ask ourselves.

This is a common problem which arises in every case where you try to remove a social evil by passing a law. How is the law to enforce itself? Take, for instance, the scheme of this Bill. Possibly. with the desire to remove this evil very few will disagree. But take, first of all, the immense difficulties which this legislation will face immediately after it goes to the statute-book. First of all, it tries to prohibit expenditure above a particular limit in connection with social customs. Social customs are defined as festivities and rituals connected with birth, marriage and death. Supposing it is neither a festivity nor a ritual but a pure reception, is it a festivity or a ritual? That will be a fine point. Secondly, the most important thing, namely, the prescribed limit is left to the rule making power of the Government. Now, how can there be a uniform limit for all classes of people? What may be the

most unhappy and unauthorised expenditure in the case of a peasant, who earns, possibly, less than Rs. 1,000 a year, might be a very reasonable amount to be spent by a man who earns, possibly, Rs. 5,000 a year and and so on. We cannot prescribe a uniform limit for the purpose of prohibiting expenditure on social and other festivities. If we do so we shall really be making ourselves absolutely ridiculous.

If, therefore, it is conceded that there must be different rules or different limits for different classes of people and different income groups, then we are again confronted with a terrible difficulty in enforcing this law. It will mean that we will have to make, first of all, an elaborate machinery for supervising the different income groups, for supervising the social and daily lift of hundreds and thousands of people spread out all over the country. There must be a machinery which must not only supervise but also keep a continuous watch on festivities which are taking place daily. Now at this very moment when we are speaking here I have no doubt that there are thousands of festivities going on all over India—religious and social—thousands literally speaking covering the entire length and breadth of this country. How is any machinery going to be set up which can keep a continuous watch over the performance of religious and other social activities of a population of 400 millions spread out over 400 thousand villages? It is a task which is so stupendous that I do not think any governmental machinery can undertake.

It must be left, in the last analysis, to the good sense of the individual concerned, to the social conscience of the villages and the towns in this country. It must be left to a growing sense of responsibility in our own selves so that we learn to avoid useless, waste of expenditure which is for the purpose of show and pump, and we learn to save as much as we can for the purpose of helping the developmental efforts of the country.

These are the ultimate palliatives which can be effective. If we try to make it effective by law we shall only be frustrating the object which we have in view. I entirely agree with those who have voiced their very strong opinion against passing a law on every subject. We are not here to make laws, we are here to do things effectively for attaining the objectives which we have set for ourselves having regard to and taking into account the difficulties lying in the way of making our policies effective and efficacious.

With these words, Sir, I take leave to resume my seat, but I strongly voice the opposition of the Government against a measure of this kind.

श्री भू न सिंह: सभापति महोदय, जो मेरी आशा थी इस बिल को लाने में उसके खिलाफ बातें यहां पर नहीं हुई हैं। मैंने अंदाजा किया था कि थोड़े से माननीय सदस्य यहां और उससे भी थोड़े लोग बाहर इस बिल के मकसद को ठीक तरह से समझने की कोशिश करेंगे। मुझे खुशी है कि इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस बिल को ठीक समझा और इस बिल की धाराओं के ठीक माने लगाये। जो इतराज़ कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाय गए हैं, उनका उत्तर देने के लिए अब मैं खड़ा हुआ हूं।

मैं कभी भी इस भ्रम में नहीं रहा हूं कि सामाजिक सुधार सिर्फ कानून पास कर देने से ही हो सकते हैं। जिन लोगों ने मेरा भाषण सुनने की तकलीफ की, उन्होंने देखा होगा कि मैंने सिर्फ इतना ही दावा किया था कि कानून बना देने से ज़रा हम उन सामाजिक सुधारों को कुछ उत्तेजना दे सकते हैं। माननीय श्री ओझा जी की सोशल कांशेंस की बात को भी मैं ने सुना है और उसको समझा है। सोशल कांशेंस जागृत करने के लिए जो तरीके उपलब्ध हैं और जिन को ले कर लोग इस बारे

[श्री झूलन सिंह]

में प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन सामाजिक सुधार का ख्याल जैसा माननीय सदस्यों ने और सरकार की तरफ से भी कहा गया है तभी पूरा हो सकता है जब सोशल कांशेंस जागृत हो और उस सोशल कांशेंस को कुछ हद तक जागृत करने के लिए इस बिल के द्वारा पग आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है।

मेरे इस निर्दोष बिल में कुछ माननीय सदस्यों को यह गंध भी आई है कि मैं धार्मिक स्वाधीनता में बाधा डालना चाहता हूं। मेरे दिल और दिमाग के किसी भी कोने में यह बात कभी भी नहीं आई है और न मैंने इस किस्म की कभी कोशिश की है। मैंने लोगों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कभी कोशिश नहीं की और न ही उनकी इस बारे में जो इच्छा है, उसको डिसटर्ब करने की कभी कोशिश की। मैंने स्पष्ट कहा है कि जहां तक धार्मिक पहलू का सम्बन्ध है मैं इसमें कोई बाधा डालना नहीं चाहता हूं। मैं इस बिल को सिर्फ सोशल रिफार्म की बात भी नहीं मानता हूं। माननीय ला मिनिस्टर साहब ने सोशल रिफार्म की जो बात सुनाई, मैं उनकी राय से सहमत हूं। लेकिन यह तो सिर्फ सोशल रिफार्म की बात नहीं थी, यह तो सोशो-इकोनोमिक रिफार्म की बात थी।

मैंने अपने भाषण में स्पष्ट बताया है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय चारों तरफ प्याला ले कर मांगते फिरते हैं और कहते फिरते हैं कि आप भी दे दो, आप भी दे दो ताकि हारा प्लान चल सके। क्या यह शर्म की बात नहीं हैं?

श्री [illegible]सिंहन् (कृष्णगिरि): कल उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है।

श्री झूलन सिंह: कोई भी मांगने वाला अपने को स्वाभिमानी से कम नहीं समझता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह हमारे देश के लिए प्रतिष्ठा की बात है कि जब हम चालीस करोड़ हैं तो हमारे प्रधान मंत्री और हमारे अर्थ मंत्री बाहर जा जा कर मांगते फिरें, चाहे वह दोस्ती के नाते मांगते फिरते हों, चाहे किसी और नाते। मैं ने बताया कि चौदह सौ करोड़ रुपया या कितना रुपया लोगों ने दिया लेकिन उसका लाभ उठाया गया। क्या हमारे देश के लिए यह स्वाभिमान की बात होगी, कि पैसे को नाच, तमाशे, दोस्तों को खिलाने में हम खर्च करते फिरें। इम्तहान पास करने की खुशी में, या मिनिस्टर बनने के बाद जो जलसा होता है, मैंने उसका ज़िक्र नहीं किया था। रोज़ लोग मिनिस्टर बनें, रोज़ जलसे करें, कोई झगड़े वाली बात नहीं है। लेकिन हिन्दुस्तान के लिए यह स्वाभिमान की बात नहीं होगी कि लोग नाच में, तमाशे में और धूम-धाम में पैसा खर्च करते फिरें और हिन्दुस्तान के जो राजकाज चलाने वाले हैं वे कर्ज़ के भरोसे पड़े रहें और देखते रहें कि कब कर्ज़ मिलता है और कब हमारा काम चलता है। यह इज्जत की बात नहीं है।

स्माल सेविंग्स के लिए आपका एक महकमा है। अक्सर लोग घूमते फिरते हैं इसमें लोगों से रुपया लेने के लिए। सरकार का पब्लिसिटी का महकमा भी उसमें अपना योगदान देता है और वह भी प्रयत्न करता है। हम लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में अपने तरीके से उसके लिए कोशिश करते हैं। पर क्या यहां बैठकर पार्लियामेंट में हमारा यह अधिकार नहीं है कि हम लोगों को यह कहें कि वे इस तरह से फिजूल पैसा खर्च न करें और अगर करेंगे तो उनको सज़ा होगी और यह चीज़ उनके ही हित में है, यह पैसा उनके पास ही जायेगा, वही इससे लाभान्वित होंगे?

श्री का[illegible] सिंह: ये सेविंग्ज़ सरकार के पास कैसे पहुंच जायेंगी?

श्री झूलन सिंह: आप जानते हैं कि सरकार के पास पैसा कैसे आता है। यह सब आपको पता है, मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूं। मैंने इसके बारे में अपनी टूटी फूटी

भाषा में पहले बताने की कोशिश की है। आपके पास समझने की शक्ति है और उसको आपको इस्तेमाल करना चाहिये। ये इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं।

इस सिलसिले में मैंने जो बातें कही हैं वे सच्चे दिल से और शुभ भावना से कही हैं ताकि इस देश का आर्थिक भविष्य उज्जवल हो और आर्थिक भविष्य ही उज्जवल न हो बल्कि हम स्वाभिमान से रह सकें। इस देश की आज़ादी भी चली गई थी, हम गिर भी गए थे लेकिन एक बात का हमें गर्व है कि हमारा नैतिक पतन बहुत हद तक नहीं हुआ और वह अभी भी नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर सारी चीज़ हमारी चली गई लेकिन हमारा मान और स्वाभिमान बना रहा तो दुनिया में फिर हम अपना स्थान हासिल कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में मैं चाहता था कि सरकार इस बिल को लोगों की राय जानने के लिए प्रचारित करती लेकिन मैंने देखा है कि सरकार को और कुछ दूसरे माननीय सदस्यों को कुछ इसमें संकोच हो रहा है, उनको दिक्कत मालूम हो रही है। मैं अपने मित्र श्री प्रकाश वीर शास्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस बिल को सही माने में समझा है और उन्होंने इसका समर्थन किया है। मेरी भावनाओं की कद्र जिन अन्य माननीय सदस्यों ने की है, मैं उनका भी आभारी हूं।

मेरा इस बिल को लाने का जो मूल उद्देश्य था वह यह था कि मैं सरकार का तथा देश का ध्यान इस ओर दिलाऊं। साथ ही साथ मैं यह भी चाहता था कि सरकार के दिमाग में इस तरह की जो बातें हो रही हैं, उनको ठोस दूं। मेरा यह जो ध्येय था वह काफी हद तक पूरा हो गया है। इसलिए मैं सदन से यह अनुमति चाहूंगा कि मुझे इस बिल को वापिस लेने की आज्ञा दें।

Mr. Chairman: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.

16.20 hrs.

OLD AGE MARRIAGE RESTRAINT BILL

(by Shri Mohan Swarup)

Shri Mohan Swarup (Pilibhit): I beg to move:

> "That the Bill to put a restraint on marriage in old age be taken into consideration."

सभापति महोदय, बिल को पेश करने से पहले कुछ विचार इस सदन में जाहिर किये गये थे कि सोशल रिफार्म्स के सम्बन्ध में कोई बिल पेश करना या कानून बनाना एक बेकार सी बात है। इस सम्बन्ध में शारदा एक्ट और दूसरे कानूनों का और अभी जो बिल डाइवोर्स के सिलसिले में पास किया गया है, उन का भी जिक्र आया। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि भले ही इन कानूनों पर सख्ती के साथ अमल न हो सके, लेकिन कानून तो अपनी जगह मौजूद रहेगा और उनको इस्तेमाल भी अगर किसी समय हो गया तो दूसरे लोगों के लिये वह एक सबक बन सकता है। इस तरह के कानूनों की आवश्यकता है। हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जहां अपनी ओर से कोई आदमी सुधार नहीं चाहता, या उन को पसन्द नहीं करता। ऐसे लोगों के लिये कुछ थोड़े से कानून की जरूरत होती है। इस लिये मैं चाहूंगा कि सोशल रिफार्म्स के सिलसिले में इस तरह के कानून बनें।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मैं कहना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है कि ५० साल से ऊपर के लोगों को, जो कमजोर हो जाते हैं, शादी करने की इजाजत देना समाज में एक विषमता पैदा करना है।